



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 756) पटना, सोमवार, 1 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2019

अधिसूचना संख्या 11/2019-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 316, दिनांक 1 जुलाई 2019 — बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर, अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है, जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1882)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

1 जुलाई 2019

एस० ओ० 316 दिनांक 1 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[[सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1882]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 1st July 2019***Notification No. 11/2019- State Tax (Rate)***

S.O. 316, Dated 1st July 2019— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable State tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation.-For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 1882)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 756-571+10 डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>